मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन् भोपाल

क्र./15282 /NREGS-MP/स्था./NR-2/09 भोपाल, दिनांक 18/12/2009

प्रति,
1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला/जिला पंचायत– छतरपुर, शहडोल, टीकमगढ़, राजगढ़ रीवा, जबलपुर, सागर, विदिशा, भिण्ड, शाजापुर, सिंगरौली, अलिराजपुर, उज्जैन, (13 जिले)।

विषयः म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत सीनियर डाटा मैनेजर (जिला स्तर) के रिक्त पदों की पूर्ति के अधिकार जिला स्तर पर प्रंत्यायोजित करने विषयक।

भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में संचालित समस्त रोजगार मूलक कार्यो से संबंधित मस्टर रोल एवं अन्य जानकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से भारत सरकार के एमआईएस में इंद्राज किया जाना अनिवार्य है। एमआईएस के आधार पर जिले का मासिक प्रगति पत्रक, अतिरिक्त किश्त जारी करना तथा अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्णय लिए जाते हैं। प्रथम चरण के जिलों के मासिक प्रगति पत्रक माह नवम्बर 09 से तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण के जिलों के लिये माह अक्टूबर 09 से एमआईएस के माध्यम से बनाये जा रहें है। भारत शासन एमआइएस से सृजित मासिक प्रगति पत्रक को वैधानिक मानती है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद पंचायत में एवं जिला पंचायत में 2–2 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर चयन एवं नियुक्ति की गई हैं, जो एमआईएस का कार्य भी कर रहें है। एमआईएस कार्य को आउटसोर्स करते हुये निजी संस्थाओं से भी सहयोग लिया जा रहा है। इन्हीं कार्यो पर पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिये प्रत्येक जिले में "सीनियर डाटा मैनेजर" के पद का प्रावधान किया गया है।

पूर्व में परिषद मुख्यालय के द्वारा ही सीनियर डाटा मैनेजर के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन एवं जिले पदस्थी हेतु आवंटित किये गये थे। वर्तमान में प्रदेश में मात्र 13 सीनियर डाटा मैनेजर के पद रिक्त होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि उक्त

12	अलिराजपुर	अनारक्षित
13	उज्जैन	अनारक्षित (महिला)

4 म.प्र.राज्य रोजगार गांरटी परिषद द्वारा सीनियर डाटा मैनेजर के लिये ,स्वीकृत संविदा पारिश्रमिक, मँहगाई भत्ता/यात्रा भत्ता एवं अन्य परिलब्धियां के आधार पर ही संविदा पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा।

5. इस प्रकार किये गये समस्त भुगतान जिले के प्रशासनिक मद के विरूद्व विकलनीय होगा।

6. चयन हेतु परिषद मुख्यालय द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के मापदण्ड यथास्थिति पालन अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव निम्नानुसार है :–

शैक्षणिक योग्यता :– स्नातक–सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर इन्जिनियरिंग/कम्प्यूटर एप्लिकेशन।

अथवा

45% अंको सहित स्नातकोत्तर– सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटरइन्जिनियरिंग/कम्प्यूटर एप्लिकेशन।

अथवा

स्नातकोत्तर गणित/सांख्यिकीय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से PGDCA/DCA

अनुभव :– डाटा प्रबंधन/RDBMS तथा Design and development of enabled Software/ My Sql SERVER /MS Access एवं ASP or ASP.Net/वेब इनेबल्ड साफ्टवेयर में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।

7. **चयन की प्रक्रिया** :–

7.1 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

7.2 अभ्यर्थियों का चयन अंक सूची, अनुभव कम्प्यूटर कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा। परीक्षा के कुल पूर्णांक 100 होंगे जिसमे अंको का वितरण निम्नानुसार होगा :–

a. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (स्नातक उपाधि) के अंक – 25 अंक

स्नातकोत्तर अभ्यर्थी को अतिरिक्त 05 अंक

साक्षात्कार कुल 10 अंको का होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा 10–10 अंकों मे से अंक दिये जावेगें, साक्षात्कार उपरांत दिये गये अंको के औसत की गणना की जावेगी, जो की अभ्यर्थी के साक्षात्कार के अंतिम अंक माने जावेगें।

7.4 **परीक्षा का आयोजन** :– कम्प्यूटर कौशल परीक्षा के आयोजन हेतु जिला स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेकनिक कॉलेज/आईटीआई(औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का चयन किया जावे। यह प्रयास किया जावे कि ऐसे संस्थान जिनके पास अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब हो, में अभ्यर्थियों की कम्प्यूटर कौशल परीक्षा आयोजित की जावे। कम्प्यूटर कौशल परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र Eiectronics / Information Technology/Computer science के प्रोफेसर/रीडर से बनवाया जा सकता है। प्रश्न पत्र का स्परूप एवं परीक्षा हेतु समयावधि का निर्धारण स्थानीय स्तर पर किया जावे। कॉपी जॉचने का कार्य भी उसी संस्था को सौंपा जावे जहॉ परीक्षा आयोजित की जा रही हो। यह प्रयास किया जावें कि कम्प्यूटर कौशल परीक्षा संपन्न होने के तत्काल बाद साक्षात्कार आयोजित कर लिये जावे। कम्प्यूटर कौशल परीक्षा के अंक यथा शीघ्र प्राप्त कर साक्षात्कार अंक को जोड़ते हुए मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जावे।

8 **मासिक संविदा पारिश्रमिक** :– सीनियर डाटा मैनेजर को मासिक संविदा पारिश्रमिक रू. 8,000 (महॅगाई भत्ता की गणना हेतु वेतनमान 4500–8000) के मान से भुगतान किया जावेगा।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

210